



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264762
CG-DL-E-17072025-264762

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3195]
No. 3195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2025/आषाढ़ 26, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2025/ASHADHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2025

का.आ. 3265(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसमें इसके पश्चात “आयकर अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा “न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण” (पैन: AAALN0120A) (इसमें इसके पश्चात “निर्धारिती” के रूप में संदर्भित), “उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम”, 1976 (यूपी अधिनियम, 1976 का 6) के तहत गठित एक प्राधिकरण को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-2025 से इस शर्त के अध्याधीन होगी कि निर्धारित आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्यों के साथ ‘उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम’, 1976 (यूपी अधिनियम, 1976 का 6) के तहत गठित एक प्राधिकरण बना रहेगा।

[अधिसूचना संख्या 116 /2025/फा. सं. 300195/24/2024-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2025

S.O. 3265(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies “New Okhla Industrial Development Authority” (PAN: AAALN0120A) (hereinafter referred to as “the assessee”), an authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act No. 6 of 1976), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2024-2025, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act No.6 of 1976) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 116 /2025/F. No. 300195/24/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.